



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1948 (श10)

(सं० पटना 1089) पटना बुधवार 9 सितम्बर 2026

सं० मत्स्य निगम/स्थापना-03 / 2026—4884
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

संकल्प

9 सितम्बर 2026

विषय :- बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, पटना को विघटित करने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिति का समीक्षा करने पर यह पाया गया कि निगम विगत 20 वर्षों से अधिक अवधि से अक्रियाशील रहने के कारण अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ है एवं घाटे में है। विभाग द्वारा निगम को विघटित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त निम्न निर्णय ली जाती है।

1. बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम को विधिवत् रूप से विघटित किया जाता है।
2. निगम की सभी चल एवं अचल परिसंपत्तियाँ मत्स्य निदेशालय में निहित होंगी।
3. निगम की सभी देनदारियों को मत्स्य निदेशालय के द्वारा वहन की जायेगी।
4. निगम के विरुद्ध न्यायालय वाद में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु मत्स्य निदेशालय को अधिकृत किया जाता है।
5. निगम को विधिवत बन्द करने संबंधी निहित कार्यों को संपादित किये जाने हेतु प्रबंध निदेशक एवं निदेशक, मत्स्य को प्राधिकृत किया जाता है।
6. निगम को विधिवत बन्द करने संबंधी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व या दावे का निपटान मत्स्य निदेशालय के द्वारा किया जाएगा।
7. उपर्युक्त निर्णय के अनुसार बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि०, पटना की सभी परिसम्पत्ति एवं देयता शून्य हो जायेगी।

8. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-02.09.2026 को मद संख्या-08 के रूप में प्राप्त है, जो संचिका संख्या-मत्स्य निगम/स्थापना-03/2026 के पृष्ठ संख्या-27/टि० पर संधारित है।
9. संकल्प प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक-20.05.2026 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या-मत्स्य निगम/स्थापना-03/2026 के पृष्ठ संख्या-07/टि० पर संधारित है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शीर्षत कपिल अशोक,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1089-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>